



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 36 राँची, गुरुवार,

3 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 जनवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-32/2020- 857 (HRMS)--श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 852/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-584(ii)/स्था०, दिनांक 06.06.2020 द्वारा अनुमंडल मुख्यालय, चैनपुर में आवासित नहीं रहने, अनधिकृत रूप से अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों की चेकिंग एवं जुर्माना वसूली करने एवं अवैध बालू ढुलाई के निमित्त ट्रैक्टर मालिकों से राशि वसूल करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई ।

उपायुक्त, गुमला से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रकाश के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) अनुमंडल मुख्यालय, चैनपुर में आवासित नहीं रहना:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-7932, दिनांक-11.07.2017 एवं शुद्धि पत्र सं०-8405, दिनांक-26.07.2017 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० द्वारा दिनांक-31.07.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर का प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार ग्रहण की तिथि से श्री प्रकाश अनुमंडल मुख्यालय में आवासित न रहकर गुमला परिसदन, गुमला में आवासित रहते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक-1531, दिनांक-24.05.2000 द्वारा सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पदस्थापन के स्थान पर रहकर कार्य करने का निदेश निर्गत है।

(ii) अनधिकृत रूप से अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों की चेकिंग एवं जुर्माना वसूली करना:- उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-584(ii)/स्थापना, दिनांक-06.06.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 04.06.2020 को प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जिसमें “तीन ट्रैक्टर है तो कम से कम चार हजार रुपये देना होगा” के क्रम में उपायुक्त, गुमला द्वारा प्रभात खबर राँची के पत्रकार मो० शकिल अख्तर से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनसे आडियो क्लिप की माँग की गयी। प्राप्त आडियो क्लिप एवं समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आलोक में कार्यालय के आदेश ज्ञापन-576(ii)/स्था०, दिनांक-04.06.2020 के द्वारा श्री मनीष कुमार (भा०प्र०से०), सहायक समाहर्ता-सह-सहायक दंडाधिकारी, गुमला को आडियो क्लिप एवं समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पत्र का कतरन संलग्न करते हुए जांच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक-574(ii)/स्था०, दिनांक- 05.06.2020 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर द्वारा प्रायः मांझाटोली चेकनाका, सिलम एवं रायडीह के विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत रूप से अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों की जांच की जाती है।

(iii) अवैध बालू ढुलाई के निमित्त ट्रैक्टर मालिकों से राशि वसूल करना:- दिनांक 04.06.2020 को प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जिसमें “तीन ट्रैक्टर है तो कम से कम चार हजार रुपये देना होगा” के क्रम में उपायुक्त, गुमला द्वारा प्रभात खबर राँची के पत्रकार मो० शकिल अख्तर से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनसे आडियो क्लिप की माँग की गयी। प्राप्त आडियो क्लिप एवं समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आलोक में यह प्रतीत होता है कि श्री सत्यप्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर द्वारा प्रति ट्रैक्टर अवैध बालू ढुलाई के निमित्त 1500/- रुपये की वसूली ट्रैक्टर मालिकों से की जाती है।

(iv) श्री प्रकाश के उक्त कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई है एवं उनका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-6313(hrms), दिनांक 01.07.2020 द्वारा इनको निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र में गठित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3119, दिनांक 06.07.2020 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री प्रकाश के पत्र, दिनांक 24.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4160, दिनांक 27.08.2020 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-116(ii)/स्था०, दिनांक 07.12.2020 द्वारा श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त गुमला द्वारा श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अस्वीकार करने की अनुशंसा की गयी है।

श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-841 (hrms), दिनांक 28.01.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-124, दिनांक 11.08.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप सं०-1, 2 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित दंड पर विभागीय पत्रांक-6426, दिनांक 11.10.2021 द्वारा श्री प्रकाश से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके आलोक में श्री प्रकाश के पत्रांक-307, दिनांक 30.10.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) आरोप संख्या-01 को प्रमाणित मानने के संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष का खंडन करते हुए कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य के आरोप को प्रमाणित मान लिया गया है, जबकि उपायुक्त, गुमला द्वारा गठित आरोप पत्र में आरोप सं०-01 से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। इतना ही नहीं तत्कालीन उपायुक्त, गुमला श्री शशि रंजन द्वारा आरोप सं०-1 के संबंध में मुझसे कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया था। संचालन पदाधिकारी ने इस संबंध में मेरे लिखित बयान एवं साक्ष्य का अवलोकन किये वगैर अपना निष्कर्ष दिया है, जो अन्यायपूर्ण है। विदित हो कि मैंने अपने लिखित बयान में स्पष्ट कर चुका हूँ कि तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा चैनपुर अनुमंडल क्षेत्राधिकार से बाहर गुमला सदर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था, परीक्षा ड्यूटी, निर्वाचन कार्य, विभिन्न राजनेताओं के गुमला आगमन पर मुझे दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता था। इस संबंध में मैंने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस गैर वैधानिक कार्य के लिए तत्कालीन

उपायुक्त, गुमला को दण्डित किया जाना चाहिए था, किन्तु इसके विपरीत मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा बिना स्पष्टीकरण मांगे आरोप गठित करने एवं बिना किसी साक्ष्य के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित मानने के निर्णय को निरस्त करने एवं आरोप सं०-1 से मुझे आरोप मुक्त करने की कृपा की जाय।

(ii) आरोप संख्या-02 में मेरे विरुद्ध बिना किसी साक्ष्य के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित मानने के निर्णय का खंडन करते हुए कहना है कि रायडीह थाना चैनपुर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसका मुख्यालय चैनपुर है एवं चैनपुर, डुमरी, रायडीह थाना के सहयोग से ही मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना किया जाता था। चैनपुर, रायडीह एवं डुमरी थाना द्वारा काटा गया चालान इस तथ्य को प्रमाणित करता है, जो मैंने लिखित बयान के साथ साक्ष्य के रूप में संचालन पदाधिकारी को समर्पित किया था किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज कर निष्कर्ष निकाला गया है जो अन्यायपूर्ण है। विदित है कि आरोप सं०-02 के संबंध में तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा कभी भी मुझसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। अतः बिना स्पष्टीकरण मांगे आरोप गठित करना सरकार के कार्यपालक नियमावली का उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। विदित है कि प्रशिक्षु आई०ए०एस० श्री मनीष कुमार एवं तत्कालीन उपायुक्त, गुमला शशि रंजन द्वारा बालू, पत्थर, बाक्सार्ट माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। गृह विभाग (विशेष शाखा) झारखण्ड, राँची एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला के द्वारा पत्र निर्गत करने के बावजूद उनके द्वारा माफिया तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी एवं सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाया जाता था जबकि मेरे द्वारा 275 व्यक्तियों के उपर जुर्माना किया गया था, जिससे संबंधित साक्ष्य भी मैंने प्रस्तुत किया था, इसके बावजूद बिना किसी साक्ष्य के आरोप को प्रमाणित मानना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य के निकाले गए निष्कर्ष को निरस्त करने एवं उक्त आरोप से मुझे आरोप मुक्त करने की कृपा की जाय।

(iii) आरोप संख्या-04 के संबंध में कहना है कि आरोप सं०-01 एवं 02 के संबंध में तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा मुझसे कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। अतः बिना स्पष्टीकरण मांगे आरोप गठित किया गया, जो सरकार के कार्यपालक नियमावली का उल्लंघन है तथा मुझ पर झूठा, पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं साक्ष्यविहीन आरोप लगाया गया है। मेरे किसी भी कार्य से सरकार की छवि धूमिल नहीं हुई है, मैंने कुशलतापूर्वक लगभग 3 वर्षों तक चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया है, जिसका प्रमाण मेरा 2017-18, 2018-19, 2019-20 से संबंधित APAR है। अतः बिना स्पष्टीकरण मांगे मुझपर गठित आरोपों एवं बिना किसी साक्ष्य के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-01, 02, 04 को प्रमाणित मानने के निष्कर्ष को निरस्त कर मुझे उक्त आरोपों से मुक्त की जाय।

श्री प्रकाश के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में समर्पित अपने बचाव बयान से इतर कोई नया तथ्य नहीं देते हुए उन्हीं वक्तव्यों की पुनरावृत्ति की गई है। उक्त स्थिति में इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला, द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATYA PRAKASH JHK/JAS/89	श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला, द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
